

ORDER SHEET 1410-2015Rct

THECOURT-----

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
07-12-16	<p>राज्य द्वारा एडीपीओउप0</p> <p>आरोपीगण सहित अधि0श्री केशवसिंह गुर्जर उप0</p> <p>प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>आज दिनांक को फरियादी योगेन्द्र माहौर एवं आहतगण बेताल सिंह एवं इन्द्राबाई उप0</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी योगेन्द्र माहौर एवं आहतगण बेताल सिंह एवं इन्द्राबाई उप0 है उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।</p> <p>उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में उप0हो।</p> <p>प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।</p> <p>जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पुनश्च—</p> <p>पक्षकार पूर्ववत</p> <p>मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी योगेन्द्र माहौर एवं आहतगण बेताल सिंह एवं इन्द्राबाई की पहचान अधि0श्री राकेश भट्टेले द्वारा की गईहै।</p> <p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी रामऔतार,श्रीकृष्ण,अरविन्द्र उर्फ वेटूवीरेन्द्र एवं नवलसिंह के विरुद्ध भादस की धारा 294,147,<u>323/149</u> तीन शीर्ष एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत</p>	

	<p>आरोप विरचित किये गये है। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी एवं आहतगण ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी रामऔतार,श्रीकृष्ण,अरविन्द्र उर्फ वेदू,वीरेन्द्र एवं नवलसिंह को भादस की धारा 294,147,323/149 तीन शीर्ष एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।</p> <p>प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही /— (प्रतिष्ठा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड म०प्र०</p>	